कार्यालयः— अंचल अधिकारी, सिमरिया।

—:आदेश:—

विविध वाद सं0—44/2024—25

प्रथम पक्ष—रविन्द्र तिवारी
पिता—स्व0 छेदी तिवारी
ग्राम—दुम्बी, थाना—पत्थलगडा
बनाम्
द्वितीय पक्ष—कलावती देवी,
पति—रोहन दांगी
ग्राम—पत्थलगडा, थाना—पत्थलगडा।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष—रविन्द्र तिवारी पिता—स्व0 छेदी तिवारी ➢ निबंधित केवाला दिया गया है, जिसकी छायाप्रति केवाला संख्या तिथि अपठनीय है। ➢ केवाला कैथी भाषा मे लिखी गई है जिसका हिन्दी अनुवाद आवेदक रविन्द्र तिवारी द्वारा करा कर दिया गया है। ➢ खतियान की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है जिसमे जीतू तेली वो भोला तेली वो समोल तेली वो लोकन तेली पेशरान कुमर तेली उल्लेखित है। ➢ केवाला मे दशरथ साहु उर्फ कोल्हा साहु पिता—सोमरी साहु वगै0 के द्वारा केवाला बिक्री की गई है, परन्तु विक्रेता का वंशावली संलग्न नही किया गया है, जिससे स्पष्ट नही किया जा सकता है की खतियान मे उल्लेखित रैयत किस वंशज से आते है। ➢ लगान रसीद एक भी उपलब्ध नही कराया गया है। **द्वितीय पक्ष—कलावती देवी पति—रोहन दांगी** ➢ द्वितीय पक्ष—कलावती देवी पति—रोहन दांगी ग्राम—पत्थलगडा हाल मौजा—तपसा के द्वारा खाता संख्या—03 प्लॉट संख्या—148 रकवा—0.34 ए0 मधे रकवा—1.35 ए0 अलावे शेष का शुद्धि पत्र संलग्न किया गया है। ➢ अनमोल पाण्डेय पिता—स्व0 दुखन पाण्डेय जाति—ब्राहमण मौजा—तपसा के द्वारा बिक्री केवाला किया गया है केवाला संख्या—40 दिनांक—05.01.1998 है। जिसके माध्यम से क्रेता—कलावती देवी पति—रोहन दांगी द्वारा दाखिल खारिज वाद	

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–312/16–17 से करा कर जमाबंदी कायम की गई है, पंजी–II के पृष्ठ संख्या–53/2 पर कायम है।

जिसका लगान रसीद ऑनलाईन एवं ऑफलाईन निर्गत किया गया है। जो अभिलेख मे संलग्न है। ऑफलाईन लगान रसीद संख्या–043814 ऑनलाईन लगान रसीद का Receipt No-0283799893 है हाल वर्ष–2024–25 तक लगान रसीद निर्गत है।

राजस्व उपनिरीक्षक जाँच प्रतिवेदन– आवेदक प्रथम पक्ष के द्वारा कैथी भाषा का केवाला प्रस्तुत किये है, जो कि अपठनीय है जिसका हिन्दी रूपांतरण मे केवाला संख्या–740 दिनांक–07.05.1993 विक्रेता दशरथ साहु उर्फ कोल्हा साहु पिता–सोमरी साहु ग्राम–नावाडिह वेलवाटांड़ के द्वारा क्रेता छेदी तिवारी पिता–देवनारायण तिवारी हाल मौजा–तपसा के द्वारा सब रजिस्ट्री हजारीबाग से निबंधित केवाला निर्गत है। साथ ही प्रस्तुत किया गया अभिप्रमाणित केवाला पर नकलकर्त्ता, मिलानकर्त्ता का हस्ताक्षर अंकित नही है जबकि आवेदक द्वारा केवाला जो प्रस्तुत किया गया है जिसकी तिथि–7.5.1953 का उल्लेख राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा किया गया है। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी आवेदक द्वारा नामांतरण की कार्रवाई नही किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा केवाला से क्रय कर विधिवत नामांतरण (Mutation) कराया गया जिसके दा0 खा0 वाद संख्या–312/16–17 प्राधिकार कॉलम मे उल्लेख है। वर्तमान मे हाल वर्ष–2024–25 तक का ऑनलाईन रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा कायम है। दोनो पक्षो का राजस्व कागजात का अवलोकन करते हुए अंतिम निष्कर्ष यह है कि प्रथम पक्ष का दावा को खारिज किया जाता है। अंस्तुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

9/10/25

अंचल अधिकारी
सिमरिया

9/10/25

अंचल अधिकारी
सिमरिया

Digitally signed by Gourav Kumar Roy
Date: 2025.11.10 15:50:50 +05:30
Location: 10.93.138.7

Scanned with OKEN Scanner